भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2696

मंगलवार, दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता एवं लक्ष्य

2696 श्री नीरज डांगी:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान प्रगति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा हरित हाइड्रोजन उत्पादन की लागत कम करने के लिए कौन-कौन से प्रोत्साहन या कर संबंधी उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार हरित हाइड्रोजन उत्पादन हेतु आवश्यक इलेक्ट्रोलाइज़र के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना चला रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) एवं (ख) भारत सरकार, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) का कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। एनजीएचएम के अंतर्गत, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करना है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर की गई प्रगति निम्नानुसार है:

i. 16 कंपनियों को 7,56,100 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।
ii. भारत भर में 11 उर्वरक इकाइयों को ग्रीन अमोनिया (ग्रीन हाइड्रोजन का डेरिवेटिव) के 6,70,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) के उत्पादन और आपूर्ति के लिए ग्रीन अमोनिया बिक्री और खरीद करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

iii. इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) की रिफाइनरियों को आपूर्ति के लिए 30,000 टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन और आपूर्ति क्षमता आवंटित की गई है।

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की लागत को कम करने के लिए उठाए गए उपाय नीचे दिए गए हैं:

i. दिनांक 31.12.2030 को या उससे पहले चालू किए गए ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया संयंत्र, जो ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, को 25 वर्ष की अवधि के लिए ISTS (इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली) शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

ii. विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 26 के तहत यूनिट की कैप्टिव खपत के लिए विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों की स्थापना के साथ-साथ ओ एंड एम के लिए इकाइयों को शुल्क लाभ की अनुमति दी गई है।

iii. विशेष आर्थिक जोन (SEZ) या निर्यात उन्मुख इकाई (EoU) के अंदर स्थित नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए ALMM और RLMM आवश्यकताओं से छूट प्रदान की गई है और विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन (या इसके डेरिवेटिव) के उत्पादन संयंत्रों के लिए विद्युत की आपूर्ति की गई है, जो SEZ के अंदर स्थित हैं या EoU के रूप में स्थापित हैं।

(ग) एनजीएचएम के अंतर्गत, इलेक्ट्रोलाइजर के स्वदेशी निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को निम्नानुसार आवंटित किया गया है:

बिक्री का वर्ष	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
उपलब्ध मूल प्रोत्साहन	4440	3700	2960	2220	1480

योजना के अंतर्गत, 15 कंपनियों को कुल 3000 मेगावाट प्रतिवर्ष इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता आवंटित की गई है।

*****